न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 244/2018

अनवान :

1. जयदेव पुत्र रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी गांव सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. रायसाहब पि0मु0 मोहनी जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा तहसील भादरा

– असल प्रतिवादीगण

2. जयदीप पुत्र रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा।
3. प्रियन्का पुत्री रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा।
4. माया पुत्री रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग : वादी
वकील श्री रोहताश पारिक **: प्रतिवादी सं0 1**
निर्णय **दिनांक :** 3.1.19

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 10 जेएसएल खाता सं0 60/59 के मु0नं0 87 के किला नं0 21, मु0नं0 90 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 मु0नं0 119 के किला नं0 , 13 से 18, 23 से 25 मु0नं0 120 के किला नं0 1 से 3, 8 से 25 इस प्रकार कुल 11.8910 है0 बारानी 11.827 है0 गैरमु0 0.064 है0 भूमि प्रतिवादी रायसाहब के नाम 1/4 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 जेएसएल के खाता सं0 199/202 के मु0नं0 91 के किला नं0 6 से 9, 12 से 25 मु0नं0 119 के किला नं0 1 से 5, किला नं0 7, 8 कुल 6.325 है0 बारानी खातेदारी तन्हा प्रतिवादी रायसाहब के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि हिन्दु संयुक्त परिवार की सहदायिकी सम्पति है प्रतिवादी रायसाहब को उक्त भूमि अपनी दत्तक माता मोहनी देवी से विरासतन प्राप्त हुई है एवं वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 4 प्रतिवादी रायसाहब के पुत्र पुत्रियान है जिनका उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी रायसाहब के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 4 प्रतिवादी रायसाहब के साथ वाद भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ने इकबालदावा पेश किया व प्रतिवादी सं0 2 व 4 को वकील वादी ने तर्क किया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादी जयदेव पुत्र रायसाहब के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में मित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 जेएसएल के खाता सं0 199/202 व

सहायक कलक्टर

साक्ष्य वादी में वादी जयदेव पुत्र रायसाहब के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में चित्रप्रति प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 जेएसएल के खाता सं0 199/202 व 60/59 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1 व 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 10 जेएसएल प्रदर्श 3 व 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की सहदायिकी सम्पति है तथा प्रतिवादी रायसाहब को उक्त भूमि अपनी दत्तक माता मोहनी देवी से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादी सं0 2 से 4 प्रतिवादी रायसाहब के पुत्र पुत्रियान है जिनका उपर वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी रायसाहब के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 10 जेएसएल के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा की पुष्टि में जो प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी खतौनी चक 10 जेएसएल प्रदर्श 3 व 4 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि मोहनी देवी के नाम दर्ज है एवं वादी ने अपने दावा के समर्थन में चित्रप्रति खोलानामा प्रस्तुत किया है जो कि एक लिखित नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित दस्तावेज है एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वादपत्र एवं प्रस्तुत खोलानामा को किसी प्रकार चेलेंज नहीं किया है। उक्त खोलानामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि रायसाहब पुत्र चन्द्रभान को मोहनी बेवा हरफुल द्वारा गोद लिया गया था एवं इसी अनुसार मोहनी के नाम दर्ज चक 10 जेएसएल की कृषि भूमि खोलायत पुत्र होने के नाते विरासतन रायसाहब को प्राप्त हुई थी। इस प्रकार वाद भूमि पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में रायसाहब के वारिसान में पत्नी कृष्णा, दो पुत्र जयदेव व जयदीप एवं दो पुत्रियां प्रियंका व माया होना एवं इनके अलावा अन्य कोई सदस्य नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 10 जेएसएल खाता सं0 60/59 के मु0नं0 87 के किला नं0 21, मु0नं0 90 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 मु0नं0 119 के किला नं0 6, 13 से 18, 23 से 25 मु0नं0 120 के किला नं0 1 से 3, 8 से 25 इस प्रकार कुल 11.8910 है0 बारानी 11.827 है0 गैरमु0रास्ता 0.064 है0 कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/20–1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार चक 10 जेएसएल के खाता सं0 199/202 के मु0नं0 91 के किला नं0 6 से 9, 12 से 25 मु0नं0 119 के किला नं0 1 से 5, किला नं0 7, 8 कुल 6.325 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 4 पांचों के नाम उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 3.1.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनुमानगढ़)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 244/2018

अनवान :

1. जयदेव पुत्र रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी गांव सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रायसाहब पि0मु0 मोहनी जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा तहसील भादरा

- असल प्रतिवादीगण

2. जयदीप पुत्र रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा।
3. प्रियन्का पुत्री रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा।
4. माया पुत्री रायसाहब जाति ब्राहम्ण निवासी सागड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 श्री रोहताश पारिक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 10 जेएसएल खाता सं0 60/59 के मु0नं0 87 के किला नं0 21, मु0नं0 90 के किला नं0 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 मु0नं0 119 के किला नं0 6, 13 से 18, 23 से 25 मु0नं0 120 के किला नं0 1 से 3, 8 से 25 इस प्रकार कुल 11.8910 है0 बारानी 11.827 है0 गैरमु0रास्ता 0.064 है0 कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/20–1/20 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

इसी प्रकार चक 10 जेएसएल के खाता सं0 199/202 के मु0नं0 91 के किला नं0 6 से 9, 12 से 25 मु0नं0 119 के किला नं0 1 से 5, किला नं0 7, 8 कुल 6. 325 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 4 पांचों के नाम उपरोक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 3.1.19 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़